लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *277

जिसका उत्तर बुधवार, 19 मार्च, 2025 को दिया जाएगा

आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि

***277. श्री जयन्त बसुमतारी:**

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो खाद्य क्षेत्र में महंगाई के लगातार रहने वाले दबाव को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) समाज के कमजोर वर्गों के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या समुचित कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने खाद्य बाजार में मूल्यों में उतार-चढ़ाव और अस्थिरता को कम करने के लिए फसल-उपरांत भंडारण सुविधाओं में सुधार करने और नुकसान को कम करने के लिए कोई पहल की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

"आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि" के संबंध में श्री जयन्त बसुमतारी द्वारा दिनांक 19.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *277 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) उपभोक्ता मामले विभाग, देश भर में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा केंद्रीय सहायता से स्थापित **555** मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत **38** आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों की दैनिक निगरानी करता है। कीमतों की दैनिक रिपोर्ट और सांकेतिक मूल्य रुझानों का उचित विश्लेषण किया जाता है, ताकि बफर से स्टॉक जारी करने, स्टॉकधारक संस्थाओं द्वारा स्टॉक का खुलासा करने, स्टॉक सीमा लागू करने, आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाने जैसे व्यापार नीति साधनों में परिवर्तन, आयात कोटा में परिवर्तन, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि जैसे उचित निर्णय लिए जा सकें। अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) नियमित आधार पर आवश्यक कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों और मूल्य प्रवृत्तियों की स्थिति की समीक्षा और विचार-विमर्श करती है तथा घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात के माध्यम से उपलब्धता बढ़ाने के उपाय सुझाती है।

(ग) समाज के कमजोर वर्ग के लिए खाद्यान्न की पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने 1 जनवरी, 2024 से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न स्कीम (पीएमजीकेएवाई) के लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार (अर्थात एएवाई परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवारों के मामले में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न) मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए, सरकार दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखती है, ताकि बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें संतुलित और लक्षित तरीके से जारी किया जा सके। बफर स्टॉक से दालों के एक हिस्से को भारत दाल ब्रांड के तहत किफायती कीमतों पर उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के लिए दालों में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार, भारत ब्रांड के तहत खुदरा उपभोक्ताओं को आटा और चावल रियायती मूल्य पर वितरित किया जाता है। थोक बाजारों और खुदरा दुकानों के माध्यम से उच्च मूल्य वाले उपभोक्ता केंद्रों में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज को सितंबर से दिसंबर, 2024 के दौरान एक मापा और लक्षित तरीके से जारी किया गया था। बफर स्टॉक से प्याज को प्रमुख उपभोग केन्द्रों में स्थिर खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं के बीच 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया गया।

इन उपायों से आम उपभोक्ताओं को आवश्यक खाद्य वस्तुएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने और कीमतों को स्थिर करने में मदद मिली है। कुल खाद्य मुद्रास्फीति दर अक्टूबर, 2024 में 10.87% से घटकर फरवरी, 2025 में 3.75% हो गई है।

(घ) और (ङ) सरकार फसल कटाई के बाद भंडारण सुविधाओं में सुधार लाने तथा नुकसान को कम करने के लिए विभिन्न पहल करती है, ताकि खाद्य बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव और अस्थिरता को कम किया जा सके। ये हैं:

(i) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) को क्रियान्वित करता है, ताकि ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से भंडारण सुविधा और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों सहित फसलोत्तर बाजार अवसंरचना के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम और दीर्घकालिक ऋण सुविधा प्रदान की जा सके।

(ii) डीएएंडएफडब्ल्यू देश में कटाई उपरांत प्रबंधन अवसंरचना को बढ़ाने और कटाई उपरांत नुकसान को कम करने के लिए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसके तहत पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, रीफर परिवहन, राइपनिंग चैम्बर, प्राथमिक प्रसंस्करण आदि की स्थापना सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) डीएएंडएफडब्ल्यू कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) को क्रियान्वित करता है, जो कृषि विपणन के लिए एकीकृत स्कीम (आईएसएएम) की एक उप-स्कीम है, जिसके अंतर्गत कृषि उपज की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) को क्रियान्वित करता है।

(v) सहकारिता मंत्रालय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) स्तर पर विभिन्न कृषि अवसंरचना के निर्माण के लिए "सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" को लागू करता है, जिसमें विभिन्न मौजूदा स्कीमों के अभिसरण के माध्यम से विकेन्द्रीकृत गोदामों की स्थापना भी शामिल है। इन स्कीमों के अंतर्गत पैक्स गोदामों/भंडारण सुविधाओं के निर्माण तथा अन्य कृषि अवसंरचना की स्थापना के लिए सब्सिडी और ब्याज अनुदान का लाभ उठा सकती हैं। इसके अलावा, नाबार्ड 2 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए एआईएफ स्कीम के अंतर्गत 3% ब्याज अनुदान के लाभों को शामिल करने के बाद, लगभग 1 प्रतिशत की अत्यधिक रियायती दरों पर पुनर्वित्तपोषण करके पैक्स को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। पैक्स स्तर पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता की स्थापना से देश में पर्याप्त भंडारण क्षमता सृजित होने से फसल-उपरान्त होने वाले नुकसान में कमी आएगी तथा पंचायत/ग्राम स्तर तक देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। इससे किसानों को मजबूरी में अपनी फसल बेचने से भी रोका जा सकेगा तथा उन्हें अपनी फसलों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

*****